

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 169/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बनवारी राम ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

विकास कुमार वगैरह -----द्वितीय पक्ष

आदेश

24-1-25

अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 12.12.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा: धरगुल्ली, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह
खाता नं0- 14, प्लॉट नं0- 1435, रकबा- 03 डी0,
चौहद्दी : -
उ0- रास्ता,
द0- महादेव राम,
पू0- फोदो सिंह,
प0- झरी सिंह

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

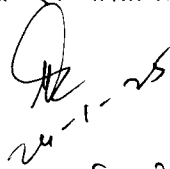
प्रथम पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष ना तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य या कारण पृच्छा प्रस्तुत किए।

प्रथम पक्ष अपने आवेदन में बतलाते हैं कि उन्हें निबंधित केवाला 6712 दिनांक 04.09.1961 के द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि हासिल है तथा उक्त भूमि का दाखिल खारिज होकर पंजी-II के पृष्ठ सं0 45 भाग सं0 11 पर पोखन राम के नाम से जमाबन्दी कायम है। द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त विवादग्रस्त जमीन पर दिनांक 30.06.2024 को बुनियाद की खुदाई करने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। प्रथम पक्ष अपने आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में

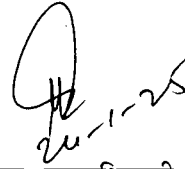
एक केवाला की छायाप्रति, दो लगान रसीद की छायाप्रति जमा करते हैं।
द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई कारण पृच्छा या अपना पक्ष नहीं रखा गया।

चूँकि उपरोक्त वाद में द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई भी दस्तावेज या अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया अतः वाद में किसी अंतिम निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं है। जारी निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया